>

Title: Regarding fatal accident of labourers from Saharsa district, Bihar due to drunk of driver and contractor and provision of compensation from Punjab and Bihar Government.

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत गंभीर और दु:खद मामला उठा रहा हूं । गत शुक्रवार, 19.03.2021 को मेरे गृह जिला सहरसा, बिहार के महिषी प्रखंड के जजौरी गांव से 11 गरीब मजदूरों को पंजाब के एक ठेकेदार पिक-अप गांडी संख्या – पीबी 13 बीजी 3648 से पंजाब ले जाया जा रहा था । पंजाब में रविवार को सुबह मौगा जिले से लगभग 15 किलोमीटर पहले थाना गंधावानी में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई । चालक और ठेकेदार दोनों नशे में थे । दुर्घटना में दो मजदूरों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई और अन्य नौ घायल हो गए । घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर चार मजदूरों की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है ।

सभापति महोदय, मजदूर बबलू शर्मा और उनके 14 वर्षीय पुत्र चन्द्रदेव शर्मा की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि अन्य मजदूर भगवान झा, गौतम मिस्त्री, राजेश मुखिया, टूनाय मुखिया, कुलदेव मुखिया, शिवा मुखिया, अनिल मुखिया, जवाहर मुखिया एवं राजू मुखिया घायल हो गए । दुर्घटना के बाद ड्राइवर और ठेकेदार, दोनों घटना स्थल से गाड़ी छोड़कर भाग गए । बताया जाता है कि पंजाब का कोई ठेकेदार यह गाड़ी लेकर सहरसा गया था और इसी गाड़ी से मजदूरों को पंजाब लाया जा रहा था ।

सभापति महोदय, मेरी पंजाब सरकार से मांग है कि ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर जांच कराई जाए । ठेकेदार, जो एक नाबालिग को मजदूरी कराने के लिए पंजाब ले जा रहा था, उसके खिलाफ बाल मजदूरी कानून के तहत मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की जाए । गंभीर

रूप से घायल एवं अन्य घायल मजदूरों को नि:शुल्क इलाज मुहैया कराया जाए । ठीक होने पर उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए । मृतक बबलू शर्मा और नाबालिग चन्द्रदेव शर्मा के परिवार को कम से कम दस लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा दिया जाए ।

सभापति महोदय, मैं अंत में आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री, बिहार से भी निवेदन करता हूं कि बिहार राज्य के दो मृतक गरीब प्रवासी मजदूरों के परिवार को चार लाख रुपये एवं घायल मजदूरों को भी आर्थिक सहायता दी जाए । धन्यवाद ।